स्थानीय निकायों (पंचायती राज संस्थाओं /शहरी स्थानीय निकायों) के बढ़ते महत्व के साथ और विकास की प्रक्रिया में जवाबदेही लाने के लिए, वरिष्ठ उप महालेखाकार (स्थानीय निकाय, लेखापरीक्षा और लेखा) का एक नया कार्यालय दिनांक 22.07.2004 को अस्तिव में आया। प्रारंभ में इस कार्यालय का प्रशासनिक और तकनीकी नियंत्रण महालेखाकार (लेखा और हक.) उत्तराखंड के पास था। इसके बाद दिसम्बर 2011 में इस कार्यालय का प्रशासनिक और तकनीकी नियंत्रण महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखंड, देहरादून को हस्तांतरित कर दिया गया था।

जैसा कि, 74 वें संवैधानिक संशोधन 1993 (1 जून 1993) तथा संविधान की 12वीं अनुसूची (अनुछेद 243 W) में प्रकार्यों की सूची में उल्लिखित है कि केवल 13 प्रकार्य उत्तराखंड सरकार द्वारा राज्य में शहरी स्थानीय निकायों के तीन स्तरों को सौपे गए है। पाँच प्रकार्यों को अभी भी शहरी स्थानीय निकायों को हस्तांतरित किया जाना शेष हैं

लेखापरीक्षा इकाईयों का विवरण:-

1. निदेशालय, शहरी विकास विभाग उत्तराखंड -1
2. नगर निगम -8
3. नगर पालिका परिषद- 41
4. नगर पंचायत-43

तकनीकी मार्ग दर्शन और सहायता

- भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक (सीएजी) उत्तराखंड में श.स्था.नि.की लेखापरीक्षा के संबंध में द्वितीयक लेखापरीक्षक है। श.स्था.नि.की लेखापरीक्षा राज्य सरकार और सीएजी के बीच सीएजी (क. अ. एवं से. श.) अधिनियम, 1971 तथा तकनीकी मार्ग-दर्शन और सहायता (टीजीएस) व्यवस्था के अनुसार सम्पन्न की जाती है। राज्य सरकार ने 2013 में टीजीएस को स्वीकार किया था।
- टीजीएस की रूपरेखा पर वार्ता की गई हैं और इसे लागू करने की प्रक्रिया गतिमान है।
- श.स्था.नि. के सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा की जाने वाले लेखापरीक्षा के अलावा, सीएजी को श.स्था.नि. के लेखों की नमूना लेखापरीक्षा करने और उन पर टिप्पणी करने का अधिकार है। सीएजी के पास वैधानिक लेखा परीक्षक के पूरक प्रतिवेदन का भी अधिकार है।
- लेखापरीक्षा के परिणाम को श.स्था.नि. को सूचित किया जा सकता हैं। सीएजी प्रतिवेदन की एक प्रति सरकार को सीधे भेज सकता है।
- टीजीएस के मापदंडों को लेखा एवं लेखापरीक्षा विनियम, 2007 की धारा 152 से 154 में वर्णित किया गया है।
- लेखा एवं लेखापरीक्षा विनियम की धारा 152 के अनुसार श.स्था.नि. के टीजीएस के कार्यों की लेखापरीक्षा का दायित्व सीएजी (डीपीसी) अधिनियम की धारा 20 (1) के तहत सीएजी को सौपा गया है।
- लेखा एवं लेखापरीक्षा विनियम की धारा 153 के अनुसार, टीजीएस के तहत लेखापरीक्षा में लेखों का प्रमाणीकरण शामिल नही है।

आयोजित किये गये है। निदेशक लेखापरीक्षा, उत्तराखंड के साथ नियमित आधार पर टीजीएस बैठकें भी आयोजित की जाती हैं।

<u>वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन (वा.त.नि.प्र.)</u>

टीजीएस के अलावा, इस कार्यालय के द्वारा पंचायतीराज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों की वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन तैयार किया जाता हैं जिसे राज्यपाल के द्वारा विधानसभा के समक्ष रखा जाता है।

पं.रा.सं.और श.स्था.नि. के वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदनों के प्रस्तुतीकरण की स्थिति:

ए.टी.आई.आर का वर्ष	स्थिति
2013-14	दिनांक 10.03.2016 को विधानसभा में प्रस्तुत कर दी गयी है।
2014-15	दिनांक 17.11.2016 को विधानसभा में प्रस्तुत कर दी गयी है।
2015-16	दिनांक 14.06.2017 को विधानसभा में प्रस्तुत कर दी गयी है।
2016-17	एटीआईआर मुद्रित की जा चुकी है और दिनांक 22.06.2020 को प्रधान महालेखाकार के द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित होने के बाद दिनांक 10.07.2020 को राज्यपाल को प्रेषित की जा चुकी है।

AUDIT OF URBAN LOCAL BODIES IN UTTARAKHAND BY THE OFFICE OF PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (AUDIT)

Introduction

With the growing importance of Local Bodies (Panchayati Raj institutions and Urban Local Bodies) and to bring accountability in the process of development, a new office of the ***Sr. Deputy Accountant General (Local Bodies Audit & Accounts)*** came into existence on 22.07.2004. Initially, the administrative and technical control of that office was with the office of the Accountant General (A&E), Uttarakhand. Thereafter, the administrative and technical control of that office was transferred to the Office of the **Principal Accountant General (Audit) Uttarakhand, Dehradun** in December 2011.

As envisaged in the 74th Constitutional Amendment 1993 (1th June 1993) and the listing of the functions in the 12th Schedule (Article 243 W) of Constitution of India, only 13 functions have been devolved to the three tiers of Urban Local Bodies (ULBs) in the State by the Government of Uttarakhand. Five functions yet to be transferred to the three tiers of ULBs in Uttarakhand.

Details of Auditee Units

1. Directorate Urban Development Department, Uttarakhand-01
2. Nagar Nigam-08
2. Nagar Palika Parishads-41
3 Nagar Panchayats- 43

Technical Guidance and Support

- Comptroller and Auditor General of India (CAG) of India is the Secondary Auditor in respect of audit of ULBs in Uttarakhand. Audit of ULBs is performed as per CAG's DPC Act 1971 and the Technical Guidance and Support (TGS) arrangement between the State Government and the CAG of India. The State Government accepted TGS in 2013.
- Modalities of TGS have been negotiated and are in the process of implementation.
- In addition to audit conducted by the Statutory Auditors of ULBs, the CAG have the right to conduct test audit of accounts of ULBs and to comment on them. The CAG also have a right to supplement the report of the statutory auditor.
- The result of the audit may be communicated to the ULBs. The CAG may also forward a copy of the report directly to the Government.
- The parameters of TGS are illustrated in section 152 to 154 of Regulation on Audit and Accounts, 2007.
- According to section 152 of the Regulation on Audit and Accounts, 2007, the functions of TGS for audit of ULBs have been entrusted to CAG under section 20(1) of the CAG (DPC) Act.
- According to section 153 of the Regulation on Audit and Accounts, 2007, Audit under TGS does not include certification of accounts.

As part of the capacity building of the Auditors of State Government (Director of Audit, Uttarakhand), training sessions on audit methodology etc., have been arranged by this office as well as by the Regional Training Institutions, in the past. TGS meetings are also held with the Director of Audit, Uttarakhand on regular basis.

Annual Technical Inspection Report (ATIR)

Apart from TGS, this office also preparing Annual Technical Inspection Report (ATIR) on the working of Panchayati Raj Institutions (PRIs) and Urban Local Bodies (ULBs) which are presented before the State Legislature by the Governor.

Status of submission of ATIR on PRIs and ULBs

Year of the ATIR	Status
2013-14	Submitted in State Legislative Assembly on 10/03/2016
2014-15	Submitted in State Legislative Assembly on 17/11/2016
2015-16	Submitted in State Legislative Assembly on 14/06/2017
2016-17	ATIR has been printed and after countersigned by PAG on 22.06.2020, has been sent to the Governor on 10.07.2020.